

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक ४० / संचा.-वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 30/6/2026

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
अपेक्स बैंक,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
3. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़
4. पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा
रायपुर

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 956 तारांकित द्वारा डॉ. चरण दास महंत, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 956 तारांकित की प्रति संलग्न है।

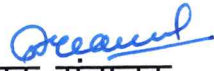
उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 02.07.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

पृ.क्रमांक ५१ / संचा.-वि.स. / 2026

प्रतिलिपि :-

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर
नवा रायपुर, दिनांक 30/6/2026


सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/07/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 17/07/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, निराकरण तथा शार्टेज की स्थिति।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 956) डॉ. चरण दास महंत

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 से 2025-26 तक उपार्जित धान की मात्रा तथा निराकृत धान की मात्रा तथा उपार्जन केन्द्रों और संग्रहण केन्द्रों में शार्टेज की मात्रा तथा राशि कितनी-कितनी रही है? (ख) उपार्जन केन्द्रों तथा संग्रहण केन्द्रों पर हुए शार्टेज की राशि की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है? क्या उपार्जन केन्द्रों पर हुए शार्टेज की मात्रा को उपार्जन नहीं मानते हुए विपणन संघ द्वारा उपार्जन करने वाली सोसाइटियों के साथ हिसाब-किताब किया जाता है? (ग) उपार्जन केन्द्रों पर हुए शार्टेज के लिये 2013-14 से 2025-26 की अवधि में कुल कितनी-कितनी राशि वसूली योग्य पाई गई, कितनी की वसूली की गई तथा कितनी शेष है, वर्षवार बताएं? इस प्रकार से शार्टेज की राशि की वसूली करने का प्रावधान किसमें है?

उत्तर :

समर्थन कलेक्टर
आ.क.फ. | अपेक्ष | सहकारिता